

प्रेषक,

जय सिंह, भा०प्र०से०  
निदेशक,  
भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

सेवा में,

बंदोबस्त पदाधिकारी,  
बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/अररिया/  
सीतामढ़ी/सुपौल/मधेपुरा/प०चम्पारण/शेखपुरा  
जमुई/नालंदा/शिवहर/बांका/जहानाबाद/अरवल।  
सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु०),  
सहरसा/किशनगंज/कटिहार/पूर्णियाँ/मुंगेर।

पटना, दिनांक :- 01/02/2023

विषय :- बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य अंतर्गत कार्य की सुनवाई प्रक्रिया में पारित किए जाने वाले आदेशों एवं संलग्न सभी कागजातों को भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित किए जाने के संबंध में।

प्रसंग :- इस कार्यालय का पत्रांक- 1943 दिनांक- 01.08.2022  
महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में स्पष्ट करना है कि वर्तमान समय में आपके जिले अन्तर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की सुनवाई प्रक्रिया में पारित किए गए आदेशों में पाई गई अशुद्धियों एवं आदेशों की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए प्रासंगिक पत्र के माध्यम से बिन्दुवार निदेश दिए गए थे। वर्तमान में जिलों द्वारा भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर अपलोड किए गए सुनवाई संबंधी अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिकांश बन्दोबस्त पदाधिकारी, विशेष सर्वेक्षण सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी एवं कानूनगो द्वारा दिए गए मार्गदर्शन-सह-निदेश के अनुरूप अभिलेख का संधारण नहीं किया जा रहा है। साथ ही सुनवाई से संबंधित सभी प्रकार के प्रतिवेदन, साक्ष्य इत्यादि को भी अभिलेख के साथ भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में अपलोड नहीं किया जा रहा है, जो अत्यंत खेद का विषय है।

विदित हो कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त प्रक्रिया अन्तर्गत बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम तथा नियमावली के आलोक में अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के अनुपालन करते हुए अधिकार अभिलेख एवं मानचित्र का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही अधिकार अभिलेख निर्माण की समस्त प्रक्रिया को भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर पर संधारित किया जा रहा है। सार्वजनिक पटल (Public Domain) पर उपलब्ध भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित किए जाने वाले अभिलेखों/कागजातों/प्रतिवेदनों/पारित आदेशों इत्यादि का अवलोकन अधिकारिक स्तर पर तथा रैयतों के द्वारा भी किया जा रहा है। इस परिस्थिति में भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में प्रविष्ट की गई प्रत्येक अशुद्धि अथवा कमी भविष्य में अनेक प्रकार की समस्याओं को जन्म दे सकती है और इस कार्य को करने वाले अधिकारियों एवं कर्मियों की दक्षता पर प्रश्न प्रश्न चिन्ह लगा सकती है। जिस कारण भविष्य में सरकार को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है।

अतः उक्त के आलोक में अनुरोध है कि प्रपत्र-8, प्रपत्र-14 एवं प्रपत्र-20 के उपरान्त प्राप्त दावा, आपत्ति के विरुद्ध पारित आदेश की गुणवत्ता बनाई रखी जाए एवं शिविरस्तरीय पारित आदेशों का जिला स्तर पर नियमित अनुश्रवण किया जाए तथा साथ ही सुनवाई के क्रम में पारित आदेशों के साथ सभी प्रतिवेदन साक्ष्य एवं सुनवाई से सम्बन्धित प्रत्येक कागजात को भू-सर्वेक्षण सॉफ्टवेयर में संधारित करना सुनिश्चित किया जाए।

विश्वासभाजन

(जय सिंह)  
निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0-09/2022.....<sup>1271</sup>.....पटना, दिनांक: 01/02/2023  
प्रतिलिपि:- सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी (मु0), बेगूसराय/खगड़िया/लखीसराय/अररिया/  
सीतामढ़ी/सुपौल/मधेपुरा/प0चम्पारण/शेखपुरा/जमुई/नालंदा/शिवहर/बांका/जहानाबाद/अरवल/  
अपर समाहर्ता-सह-प्रभारी पदाधिकारी, सहरसा/किशनगंज/कटिहार/पूर्णियाँ/मुंगेर को सूचनार्थ एवं  
कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0-09/2022.....<sup>1271</sup>.....पटना, दिनांक: 01/02/2023  
प्रतिलिपि:- प्रभारी, विशेष सर्वेक्षण कोषांग शाखा/निदेशालय में पदस्थापित सभी जिलों के नोडल  
पदाधिकारी/प्रभारी, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं  
आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0-09/2022.....<sup>1271</sup>.....पटना, दिनांक: 01/02/2023  
प्रतिलिपि:- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, आई0टी0सेल, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय को  
सूचनार्थ एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04) वि0 सर्वे0-09/2022.....<sup>1271</sup>.....पटना, दिनांक: 01/02/2023  
प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को  
सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक,

भू-अभिलेख एवं परिमाण